an>

Title: Need to lay down rules to regulate private nursing homes and hospitals to help the poor patients .

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय स्वास्थ मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जहां हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ कम खर्च पर गरीबों को बेहतर इलाज मिले, कैसे मध्यम वर्ग और जनता को राहत मिले, इसके लिए प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल और नर्सिंग होम इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। महोदया, चूंकि इन अस्पतालों की फीस का कोई मानक निर्धारित नहीं है, इसलिए ये लोग मनमानी रकम मरीजों से वसूल करते हैं। वे मरीज अपने गहने और खेत बेच कर उनको पेमेंट करते हैं। यहां तक कि लाशों को रोक कर भी वे लोग पेमेंट लेते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। दुख तो तब होता है, जब अपने अस्पतालों में मैडिकल स्टोर खोल लेते हैं और उन मरीजों को विवश किया जाता है कि वहीं से दवाइयां लें। इस प्रकार की महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं, अस्पतालों में अधिक कमीशन और अधिक मार्जन दे कर लूटते रहते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मॉंग करता हूँ कि इसका कोई नियमन हो। आज इस देश में कुली का भी रेट निर्धारित है। नगरपालिकाएं, नगर निगमों ने रिक्शे का भी रेट निर्धारित किया है। यहॉं तक कि हमारे यहॉं बनारस में तो तांगे वालों का भी रेट निर्धारित है, लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम्स का कोई रेट नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई नियमन नहीं है। कुछ बड़े नर्सिंग होम्स का तो कुछ सिस्टम है, लेकिन जैसे पूरब में एक कहावत है कि वह नया आगे डाट-डाट-डाट, प्याज ज्यादा खाता है, वैसे ही जो नए नर्सिंग होम हैं, ये और ज्यादा पैसा लेते हैं। ये कुकुरमुते की तरह उग रहे हैं, न उनके पास सिस्टम है, न कुछ है।

महोदया, इस नाते मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से यह प्रार्थना है, विनती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ध्यान दे और पूरे देश स्तर पर कोई अथॉरिटी हो, कोई उसका रेग्युलेटरी सिस्टम बनाएं, जिसके अन्तर्गत इनका रजिस्ट्रेशन, इनका पंजीयन हो।

महोदया, मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दें, जिससे सदन के सारे माननीय सदस्यों की भावनाएं आ जाएं। इस पर देश में एक कानून बनना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय मिश्रा टेनी, कुँवर पुÂपेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पी.पी.चौधरी,

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्रीमती संतोÂा अहलावत, श्रीमती रीती पाठक को डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।